

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

रण संख्या : 77 / 2020

पार्थीगण

1. जोगाराम पुत्र पनाराम
2. जेताराम पुत्र पनाराम
3. अगरीदेवी पत्नी पनाराम
4. मूलाराम पुत्र बागाराम
5. विशनाराम पुत्र ताजाराम
6. नेनाराम पुत्र ताजाराम
7. देवाराम पुत्र ताजाराम
8. गेनाराम पुत्र ताजाराम
9. रिडमलराम पुत्र रेशमाराम
10. कौशलाराम पुत्र रेशमाराम
11. तुलछाराम पुत्र रेशमाराम
12. करनाराम पुत्र रेशमाराम
13. देदाराम पुत्र रेशमाराम
14. इन्दरादेवी पत्नी रेशमाराम

जाति भाभी साकिन गुरूओं का तला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. समेला पुत्र गुलाबा
2. राणा पुत्र गुलाबा
3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
4. जोगाराम पुत्र गंगाराम
5. सोनीदेवी पत्नी गंगाराम
6. मीरों पत्नी शंकराराम
7. मांगाराम पुत्र डूंगराराम
8. मिरगोदेवी पत्नी डूंगराराम
9. दला वल्द मूलाराम
10. धारा वल्द मूलाराम
11. मूमल पत्नी मूलाराम
12. ईशरा वल्द किस्तुराराम
13. राणाराम पुत्र फूसाराम
14. मांगाराम पुत्र फूसाराम
15. बाबूलाल पुत्र फूसाराम जाति मेगवाल निवासी गुरूओं का तला
16. खरथाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी राजनगर
17. गोरखाराम वल्द खरथाराम
18. उमाराम पुत्र खरथाराम
19. मलाराम पुत्र खरथाराम
20. टुगी पत्नी खरथाराम
21. डूंगराराम पुत्र प्रतापाराम
22. प्रहलादराम पुत्र प्रतापाराम
23. केवलचन्द पुत्र प्रतापाराम जाति जाट निवासी राजनगर
24. डालूराम पुत्र जोधाराम
25. ठाकराराम पुत्र जोधाराम
26. भीखाराम पुत्र जोधाराम
27. दिलीप कुमार पुत्र जोधाराम
28. हेमाराम पुत्र मूलाराम
29. टीकमाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी राजनगर
30. रामाराम पुत्र राउराम
31. वीरमाराम पुत्र राउराम
32. मेहाराम पुत्र राउराम
33. ताराराम पुत्र राउराम
34. हिमताराम पुत्र राउराम जाति जाट निवासी मंगले की बेरी
35. रामाराम पुत्र सालगाराम
36. लिखमाराम पुत्र सालगाराम



उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

- नारणाराम पुत्र सालगाराम
8. देदाराम पुत्र उदाराम
39. भेराराम पुत्र निम्बाराम
40. भोमाराम वल्द घमण्डाराम
41. लालाराम पुत्र घमण्डाराम
42. ईशराराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी पीराणी गोदारों की ढाणी
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
43. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक :-25-01-2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम के तहत पटवार नौखडा के राजस्व ग्राम गुरुओं का तला के खेत खसरा नम्बर 580 रकबा 171-06 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071-2074 सरहद मौजा गुरुओं का तला के खेत खसरा नम्बर 580 रकबा 171-06 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गुरुओं का तला के खेत खसरा नम्बर 580 रकबा 171-06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फौसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)

आज हम दोगर आवश्यक काया में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर ज.बली आइन्दा.....को पेश हो।
25/1/21

पं. 77 / 2020
जुलाई 2020
अप्रैल 2020
मार्च 2020
फरवरी 2020
जनवरी 2020

25/01/21

पञ्चावली आज पेश हुई वकील आदीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के जस्टिस रजिस्ट्रार डाक दिनांक 10/10/20 के साथ लिखाए गये थे लगभग 90 दिवस की अवधि के भी कस्टोडियन का समय खतीर होने पर भी विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के कोई समय में तीन बार तीन-तीन आवेदन दिये गये। बावजूद आवेदन दिये के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय आवेदन की जाती है वकील आदीगण के अहम सुनी गई। आदेश कल के लिये जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालना नहीं मंजूर। गुजरात के तद्वीर जारी है। पालन प्राप्त होने पर शीघ्र पञ्चावली की जावे। पञ्चावली विधि सुधार होकर दारिद्र्य दफ्तर है।

उपपण्ड अधिकारी, गुजरात न्यायालय